भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्रांक / दिनांक

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
मथुरा।

विषय– रिट याचिका सं0 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय/स्कूल भवनों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– (1) आपका पत्र सं0 1857 दिनांक 31.01.2024
(2) प्रबन्धक हरीश राघव पब्लिक स्कूल मथुरा का पत्र दिनांक 21.02.2024
(3) विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 का पत्रांक 89/अरसठ/3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र 31.01.2024 के कम में इस कार्यालय के पत्र सं0 1037/कैम्प/ए0ई0–1/23–24 दिनांक 13.02.2024 द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी तदोपरान्त आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रबन्धक हरीश राघव पब्लिक स्कूल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 21.02.2024 कम में आप द्वारा चाही गयी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की कम में माँगी गयी सूचना निम्नानुसार है:–

1. विद्यालय का नाम– हरीश राघव पब्लिक स्कूल नौगांव सौंख मथुरा।
2. विद्यालय तक पहुँच मार्ग– उपलब्ध है।

विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्यालय भवन भूतल एवं प्रथम तल आर0सी0सी0 से निर्मित है। प्रबन्धक एंव प्रधानाचार्य के बैठने हेतु उचित व्यवस्था है। भूतल से प्रथम तल एवं छत पर आने–जाने हेतु झीना निर्मित है। विद्यालय भवन में सामान्य विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त आकस्मिक विद्युत व्यवस्था जनरेटर के माध्यम से संचालित है। विद्यालय में खेल–कूद एवं हल्के भारी वाहन खडे करने हेतु पर्याप्त स्थान है। वर्तमान में विद्यालय भवन टिकाऊ एवं मजबूत है तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों एवं लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत होता है।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष है।

(अजय कुमार)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
मथुरा

पत्रांक 1048/कैम्प/AE-1/23-24 दिनांक 22/2/24

प्रतिलिपिः–

1. प्रबन्धक हरीश राघव पब्लिक स्कूल नौगांव सौंख मथुरा।

22.02.24
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
मथुरा